राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, पुरातत्व एंव संग्रहालय विभाग, अजमेर वृत्त, अजमेर।

क्रमांकः पु.सं.अ./2012/624 दिनांकः 3.9.2012

श्री प्रकाश पाटनी,
बी–34, सागर विहार,
वैशाली नगर, अजमेर।

विषयः– राजकीय संग्रहालय, अजमेर के **बड़ली शिलालेख** बाबत।
प्रसंगः– आपका पत्र दिनांक 24.4.2012

महोदय,

उपरोक्त विषय प्रसंगान्तर्गत आप द्वारा राजकीय संग्रहालय, अजमेर के बड़ली शिला लेख के विषय में जानकारी चाही गई है। उक्त शिलालेख संग्रहालय के पुरा वस्तु पंजिका के क्रमांक 348 पर दर्ज है जो कि संग्रहालय के प्रथम प्रभारी पंडित गौरी शंकर हीरा चन्द ओझा जी द्वारा अवाप्त किया गया था।

विभाग के पूर्व निदेशक श्री ओम प्रकाश शर्मा का विभागीय रिसर्चर 1996–97 में प्रकाशीत लेख **प्रचीन ब्राह्मी लिपि का बड़ली अभिलेख – एक अध्ययन** की छाया प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु सलंग्न कर प्रेषित है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अधीक्षक
पुरातत्व एंव संग्रहालय
अजमेर वृत्त, अजमेर

TH 200 7
200 7
TH 200 7

THE RESEARCHER

VOL. XVIII 1996-97

A BULLETIN OF RAJASTHAN'S
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS

10

प्राचीन ब्राह्मी लिपि का बड़ली अभिलेख - एक अध्ययन

ओम प्रकाश शर्मा*

बड़ली, विजय नगर, जिला अजमेर के पास एक छोटा सा ग्राम है जहां से सन् 1912 में एक शिलालेख खण्ड पंडित गौरी शंकर हीरा चन्द ओझा को प्राप्त हुआ था। यह एक ऐसा संयोग था कि इसे तंबाखू पीसने के कार्य में लिया जाता था। यह शिलालेख षट्कोण प्रस्तर पर है जिस पर भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें श्री ओझा जी ने अपने सर्वेक्षण के समय पहचान कर इसे अवाप्त कर अजमेर संग्रहालय में ले आये। यह प्रस्तर लेख शिलाखंड के तीन पहलुओं पर उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण लेख 13 इंच x 10.5 इंच के स्थान को घेरे हुए है। इस पर दक्षिण एवं मध्यवर्ती पहलू के अक्षर भली प्रकार स्पष्ट हैं किन्तु वामवर्ती पहलू के अक्षर मिट गये हैं। यह लेख उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण लेख है और इस पर विद्वानों द्वारा पर्याप्त बहस होती रही है।

श्री गौरी शंकर ओझा तथा काशी प्रसाद जायसवाल प्रभृति विद्वानों ने इसे पूर्व मौर्यकाल का निश्चित किया है। ओझा जी ने लेख की दो पंक्तियों को निम्न रुप से पढ़ा है -

''वीराय भगवते 80(4) चतुरासिति व (से)'' जिसका उन्होंने यह अर्थ किया है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 84 वर्ष बाद इसे उत्कीर्ण किया गया है। श्री के.पी. जायस्वाल ने इस मत को उचित न मानते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि भगवान महावीर के निर्वाण काल के शीघ्र पश्चात् सुदूर प्रदेशों में जैन धर्म के प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अत: उन्होंने इसे नन्द वंश का काल माना है तथा इसे 458 ई.पू. से आरंभ होना माना गया है। किंतु इनके निर्णय को अधिकांश विद्वानों ने अतर्क संगत माना है। श्री डॉ. राजबली पाण्डेय ने अपने अभिमत में श्री ओझा के विचार को ही मान्यता दी है। परन्तु श्री डी.सी. सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और अपनी मान्यता की निम्न प्रकार विवेचना की है-

1. भगवान महावीर के निर्वाण के काल का कोई लेख उनके निर्वाण के शीघ्र बाद का नहीं मिला है। अत: केवल एक शताब्दी बाद ही इसका काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

2. शिलालेखों में संवत् लिखने की प्रथा बहुत बाद में आरंभ हुई है।

3. 'चतुरासिति' शब्द भौगोलिक है। इससे ग्रामों की सीमाएं निर्धारित होती हैं। यह शब्द राजस्थान में बहुत व्यापक रुप से प्रचलित था। अत: यह लेख संभवत: शुंग काल का है और इसमें राज 'भागवत' का वर्णन है।

* निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. अशोक के पूर्व का लेख अब तक भारत से कहीं भी नहीं मिला है। कुछ लेखों को अशोक से पूर्व मानते हैं किंतु उनका कोई आधार नहीं है।

कुछ अन्य विद्वान् जिनमें श्री एस.आर. गोयल, एस.पी. गुप्ता एवं श्री एस. रामचन्द्रन आदि हैं जिन्होंने यह माना है कि मौर्य लिपि का विकास सर्व प्रथम अशोक ने किया था।

अत: डी.सी. सरकार और एस.आर. गोयल आदि विद्वानों के मतानुसार यह लेख शुंग कालीन है।

इस अभिलेख में सर्वाधिक चर्चायुक्त महत्वपूर्ण शब्द इसका प्रथम अक्षर है जिसे ओझा जी ने 'व' पढ़ा तथा इसके ऊपर अर्द्ध चन्द्र की आकृति को बड़ी 'ई' की मात्रा का सूचक माना है जो उनके अनुसार अशोक से पूर्व प्रचलित रही होगी। के.पी. जायसवाल ने भी इस अक्षर को 'व' माना है किंतु बड़ी मात्रा के स्थान पर छोटी मात्रा मानी है। उनका कहना है कि इस प्रकार के चिन्ह मालसी के शिलालेख में भी हैं। अत: यह बड़ी 'वी' के स्थान पर छोटी 'वि' होनी चाहिए। डी.सी. सरकार ने इनके मतों को काटते हुए उल्लेख किया है कि ऊपर जो अर्द्ध गोलाकार चिन्ह है वह 'द्वय' या 'द्व' का चिन्ह है जो उनके अनुसार 'सिद्धं' का लघु रुप है। किंतु इनके सुझाव से अधिकांश विद्वान सहमत नहीं हैं। शिलालेख विशेषज्ञ श्री डाणी, टी.पी. वर्मा एवं सी.एस. उपासक आदि ने टिप्पणी करते हुए प्रतिपादित किया है कि 'द' को जो आरंभिक अक्षर माना गया है वह डी.सी. सरकार द्वारा बताये गये रूप का कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। अत: यह 'व' ही स्वीकार किया जाना युक्ति संगत होगा। सी.एस. उपासक ने ओझा जी के मत को पूर्णतया स्वीकारते हुए इसे बड़ी 'वी' ही माना है।

इस प्रकार अभी तक विद्वत् गणों में इस लेख पर पर्याप्त विवाद बना रहा है।

इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ने से हमें निम्न लिखित तथ्य प्रकट होते हैं -

1. अभिलेख के कुछ अक्षर छोटे हैं और कुछ अक्षर बड़े हैं। अशोक के लेखों में सामान्यत: एक ही आकार के अक्षर मिलते हैं। यदि छोटे भी हैं तो पूरे अक्षर होंगे और वह पंक्ति पूरे छोटे अक्षरों की रहती है।

2. 'वी' शब्द नि:संदेह अब तक मत मतान्तर में विवाद का मूल कारण रहा है। इसका सही भाव अभी भी नहीं लगाया जा सका है। ओझा जी की मान्यतानुसार यह 'वी राय' भी हो सकता है और डी.सी. सरकार का अभिमत 'सिद्धं राय भगवते' भी हो सकता है। इस संबंध में निर्णायक मत पर नहीं पहुंचा जा सका है। अस्तु, अभी भी विद्वत् चर्चा अपेक्षित है।

3. चतुर्थ पंक्ति में 'मज्जिमिका' का अंकन है। यह विशेष रुप से महत्वपूर्ण है जो चित्तौड़ के समीप 'नगरी' का प्राचीन परिचायक शब्द है।

अभिलेख का मूल पाठ (Pl. XXXVI) निम्न प्रकार है-

पंक्ति	दक्षिणवर्ती भाग	मध्य भाग	वामवर्ती भाग
1.	वी	रायभगव	(ते)
2.	80(4)	चतुरासिति	(से)
3.	नाये	सालि मालिनि	(ये)
4.	रा म नि (व)	ठे मिज्झमिक	(ये)

उपर्युक्त संपूर्ण लेख का अर्थ भी अस्पष्ट है। यह केवल ऊपर का अंश है। सालिमालिनी का शब्द तृतीय पंक्ति में उद्धृत है जो किसी स्त्री का द्योतक है जिसका संबंध संभवत: मध्यमिका नगरी से रहा होगा। मध्यमिका नगरी उस समय उन्नत एवं समृद्ध थी।

मौर्य काल के पूर्व के निम्नलिखित लेख माने जाते हैं -

1. महा स्थान लेख 2. सौहयौरा ताम्र लेख 3. पिपरवा बौद्ध कास्केट लेख 4. तक्षशिला के सिक्के पर ब्राह्मी लेख 5. भट्टिपोलु के लेख

इन्हें पूर्व मौर्य काल में मानते हैं। इनके संबंध में अनेकानेक विद्वानों में मतभेद चल रहा है। उनका कथन है कि अशोक के समय में मोर्य लिपि में काफी सुधार हो गया था और छोटे बड़े अक्षरों को एक करते हुए सुन्दर ढंग से लिखना आंरभ कर दिया था। परन्तु इस मत को कोई सर्वथा स्वीकार करने योग्य नहीं मानता क्योंकि अशोक के बाद के लेखों में भी छोटे बड़े अक्षर पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ चित्तौड़ के पास आंवलेश्वर के लेख में कुछ अक्षर छोटे हैं और कुछ अक्षर बड़े हैं। इसका काल निर्धारण द्वितीय शताब्दी ई.पू. है। अत: केवल अक्षरों के आकार के अनुसार इसका काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अशोक ने तो राजकीय आदेशों को कुशल शिल्पियों से सुन्दर अक्षरों में उत्कीर्ण कराकर संपूर्ण भारत में लगवाया था।

अभी भी विद्वानों में 'पिप्रहवा'(पिपरवा) के लेख को 5वीं शताब्दी ई.पू. तक ले जाने की विचारधाराएं प्रचलित हैं। वहां से एक बौद्ध कलश का लेख मिला है। इसमें अधोलिखित पाठ है-

सुकिति - भतिन स भागिनिकन स पुत्र दलनं (1) इयं सलित - निधने बुधस भगवते सकि (यानं)(11)। इसका अर्थ सुकीर्ति और भक्ति के भगिनि पुत्र दारा सहित। शाक्यों के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण 483 का स्मरण दिलाता है। इसमें सुकिति या सुकीर्ति भगवान बुद्ध के लिये प्रयुक्त् हुआ है जो उनका एक विरूद है। इस प्रकार यह लेख प्राचीन है।

इसके अतिरिक्त अन्य लेखों को प्राय: विद्वान द्वितीय शताब्दी ई.पू. के मानते हैं। अत: हमें भी 'बड़ली' के लेख को द्वितीय शताब्दी ई.पू. का ही मानना चाहिए। इसकी पुष्टि में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं -

1. भगवान महावीर का निर्वाण संवत् संभवत: यहां प्रयुक्त नहीं हुआ है क्योंकि इसका प्रचलन उस समय आवागमन के अधिक साधन नहीं होने से इतना शीघ्र सुदूर राजस्थान में फैलना संभव नहीं प्रतीत होता। यह कोई

दूसरा संवत् रहा होगा क्योंकि हमें राजस्थान के दक्षिणी भाग से 'कथिक' संवत् के लेख मिले हैं जो देवनी मो (रतनपुर के निकट) ग्राम से मिले हैं। इसी प्रकार कल्याणपुर (धूलेव के निकट) से भी कई लेख मिले हैं। जिनमें वि का व संवत् का उल्लेख अस्पष्ट है। अत: इस संवत् को भी द्वितीय शताब्दी का एक अज्ञात संवत् मानना चाहि

2. डॉ. डी.सी. सरकार का यह सुझाव मान्य नहीं है कि यह शुंग राजा से संबंधित है। पुष्कर का क्षेत्र क शुंगों से संबंधित रहा हो इसका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है। उस समय के बौद्धों के अनेक लेख भेलसा के प मध्य भारत में स्थित सांची के लेखों में हैं। वहां भी कहीं शुंग राजाओं का वर्णन नहीं मिलता है।

3. भागवत शब्द राजाओं के स्थान पर भगवान के लिये भी प्रयुक्त होता है। आंवलेश्वर, मथुरा, नगरी, त विदिशा आदि लेखों में भी इसका प्रयोग है।

4. आहाड़ (उदयपुर) से दो सीलें प्राप्त हुई हैं जिनमें एक पालितस (3 शताब्दी ई.पू.) और विहितं विष (2 शताब्दी ई.पू.) के शब्द हैं। इनमें किसी राजा का वर्णन न होकर अन्य गणराज्यों का वर्णन होना प्रतीत होता उस समय संभवत: यह क्षेत्र शिवि-मालव जनपद के अधिकार में था।

इस प्रकार हम 'बड़ली' के लेख से निम्नलिखित तथ्य सिद्ध कर सकते हैं -

1. यह द्वितीय शताब्दी ई.पू. का लेख है।

2. यह किसी अज्ञात संवत् का लेख है जिसकी तिथि चौरासी (84) दी हुई है।

संदर्भ :

1. गौ.ही. ओझा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला (अजमेर) पृ.2, इण्डि.एन्टी. 58 भाग, पृ. 21

2. उस समय गणना में तिथि 84 को लिखने के लिए 80 और 4 लिखने होते थे। चौथी शताब्दी के पश्चात् ही कालगणना क्रम आधुनिक स्वरूप प्रचलित हुआ।

3. के.पी. जायसवाल : An important Brahmi Inscription - Barli stone with plate published in Journ of the Bihar and Orrissa Research Society, मार्च, 1930 Vol. XVI pt.

❑❑❑